संख्या- 22/2015/620 सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 26 मार्च, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियों के लेखों की बकाया सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु शक्कर विशेष निधि की उपनिधियों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के विभिन्न मदों में प्राप्त हुई बचत में से व्यावर्तन की अनुमति सहित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1912सी0डी0/46-3-13-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24 जुलाई, 2014 एवं शासनादेश संख्या-12सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 व शुद्धि-पत्र विषयक शासनादेश सख्या-296 सी0डी0/46-3-15- 3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 05 फरवरी, 2015 तथा शक्कर विशेष निधि समिति की दिनांक 11-03-2015 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्रेषित अपने पत्र संख्या- 808/श0वि0नि0/दिनांक 24 मार्च, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या-1912सी0डी0/46-3-13-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 24 जुलाई, 2014 एवं शासनादेश संख्या-12सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 व शुद्धि-पत्र विषयक शासनादेश सख्या-296 सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 05 फरवरी, 2015 द्वारा, वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियों के लेखों की बकाया सम्परीक्षा शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु कुल रू0 1,75,69,000 (रू0 एक करोड़ पचहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त के उपरान्त भी स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियो के लेखों की बकाया सम्परीक्षा शुल्क रू0 1,30,03,000 के भुगतान कराये जाने के दृष्टिगत निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियों में हो रही बचत से रू0 22,30,000 (रू0 बाईस लाख तीस हजार मात्र) स्वीकृत किये जाने की मांग पर शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 11-03-2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियो के लेखों की बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु रू0 22,30,000 (रू0 बाईस लाख तीस हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए, व्यावर्तन की अनुमति सहित व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति, उपरिलिखित शासनादेश संख्या-12सी0डी0/46-3-15-3 (श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 एवं शुद्धि-पत्र विषयक शासनादेश सख्या-296 सी0डी0 /46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 05 फरवरी, 2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि रू0 22,30,000 (रू0 बाईस लाख तीस हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में, प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-''2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर- 108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301-उ0प्र0 गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान - 42 - अन्य व्यय'' के नामे रू0 19,42,832 (रू0 उन्नीस लाख बयालिस हजार आठ सौ बत्तीस मात्र),अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-''2852- उद्योग-आयोजनेत्तर -08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-04- उ0प्र0 के अभावग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे रू0 2,23,321 (रू0 दो लाख तेईस हजार तीन सौ इक्कीस मात्र) तथा अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक- ''2852-उद्योग-आयोजनेत्तर-08-उपभोक्ता उद्योग-201-चीनी-05-उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय'' के नामे रू0 63,847 (रू0 तिरसठ हजार आठ सौ सैतालिस मात्र) आहरित किया जायेगा।

भवदीय

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-22/2015/ 620 (1)सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा हकदारी प्रथम/ लेखा परीक्षा प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सँयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in